भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3196
06 अगस्त, 2026 को उत्तर देने के लिए

गन्ने के उप-उत्पादों के लिए कृषि प्रसंस्करण संकुल (एपीसी) की स्थापना

3196. श्री हरेन्द्र सिंह मलिकः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत मुजफ्फरनगर और बिजनौर में गुड़, सिरका और तरल गुड़ जैसे उत्पादों द्वारा गन्ने के लिए विशेष कृषि प्रसंस्करण संकुल स्थापित करने का कोई नया बजटीय प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का गुड़ को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निर्यात योग्य बनाने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल के अंतर्गत मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिलों में आधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाएं और शोधन केन्द्र स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस क्षेत्र की लघु प्रसंस्करण इकाइयों को उनकी ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और सौर आधारित शीतागारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स के अंतर्गत शामिल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान मुजफ्फरनगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से सृजित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का खंड-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) वर्ष 2017 से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की एक घटक योजना के रूप में कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए अवसंरचना सृजन (एपीसी) योजना को लागू कर रहा है। एपीसी योजना का उद्देश्य क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक अवसंरचना तैयार करना, फसलोत्तर नुकसान को कम करना, कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन करना, किसानों की आय बढ़ाना और रोज़गार पैदा करना है। इस योजना के अंतर्गत, सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से और (सिक्किम सहित), पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों, अधिसूचित आटीडीपी क्षेत्रों और द्वीपों में 50% की दर से अनुदान सहायता/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो अधिकतम ₹10 करोड़ तक सीमित है।

एपीसी योजना जिला/राज्य/उत्पाद विशिष्ट नहीं है। एपीसी योजना मांग-आधारित है और मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी की गई 'अभिरुचि की अभिव्यक्ति' (ईओआई) के माध्यम से संभावित निवेशकों/उद्यमियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जो निधि की उपलब्धता के अधीन है। वर्तमान में, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिलों में एपीसी योजना के अंतर्गत किसी भी परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है।

(ख): एमओएफपीआई स्वयं खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित नहीं करता है। मंत्रालय केवल खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (एफएसक्यूएआई) की योजना के अंतर्गत खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह एक मांग-आधारित योजना है। मंत्रालय के सम्पदा पोर्टल पर समय-समय पर जारी ईओआई के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। स्थानों का चयन पूर्व-निर्धारित नहीं है और यह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्रता मानदंडों, तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता, और प्रस्तावों की योग्यता पर आधारित है। वर्तमान में, एफएसक्यूएआई योजना के अंतर्गत मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिलों में खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के अंतर्गत, मुज़फ़्फ़रनगर और बिजनौर ज़िलों में गुड़ को 'एक जिला एक उत्पाद' (ओडीओपी) के रूप में चुना गया है। यह योजना मांग-आधारित है और संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। ऐसी सुविधाओं की स्थापना के लिए प्रस्ताव राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर पहचाने और अनुशंसित किए जाते हैं और योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमोदित किए जाते हैं। मंत्रालय को इस योजना के अंतर्गत मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिलों में आधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाओं या संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग): पीएमकेएसवाई अंब्रेला योजना के एक घटक, ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के अंतर्गत, मंत्रालय सामान्य श्रेणी के क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से और दुर्गम श्रेणी के क्षेत्रों साथ ही, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 50% के दर से वित्तीय सहायता दी जा रही है। यह सहायता चिन्हित उत्पादन क्लस्टरों में 10 फल की फसलों, 11 सब्जी फसलों और झींगा के मूल्य श्रृंखला विकास के लिए है। गन्ने के उप-उत्पादों को वित्तीय सहायता देने के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के अंतर्गत स्टैंडअलोन शीत भंडार सुविधा स्थापित करने के लिए भी सहायता प्रदान नहीं की जाती है। हालाँकि, पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को घटक योजनाओं के लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार, सौर पैनलों की स्थापना सहित ऊर्जा कुशल बिजली प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(घ): प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की सभी घटक योजनाएं मांग-आधारित हैं और मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी ईओआई (ईओआई) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मंत्रालय द्वारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र-वार/ब्लॉक-वार रोज़गार डाटा नहीं रखा जाता है। हालाँकि, उत्तर प्रदेश राज्य में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 103 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 83 परियोजनाएं पूर्ण/परिचालन में हैं। इन पूर्ण/परिचालन परियोजनाओं के माध्यम से, दिनांक 30.06.2026 तक 64,877 व्यक्तियों के लिए रोज़गार उत्पन्न किया गया है।